संख्या-6/1250/38-4-14-50(विविध)/14

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2015

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष-2013-14 के अधूरे आवासों को वित्तीय वर्ष-2014-15 के बजट आवंटन से पूर्ण कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक आपके पत्र संख्या-662/सम्प्रेक्षा/लो0आ0यो0/2014, दिनांक-16 अक्टूबर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि **रू0-585.8875** करोड़ की धनराशि में से 50 प्रतिशत की धनराशि शासनादेश संख्या-1146/38-4-14-11 (बजट)/13, दिनांक-26 सितम्बर, 2014 द्वारा **रू0-292.94375** करोड़ एवं शासनादेश संख्या-1211/38-4-14-50 (विविध)/2014, दिनांक'14 नवम्बर,2014 द्वारा **रू0-384.20** लाख की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त बजट प्राविधानित धनराशि में से वित्तीय वर्ष-2013-14 के अधूरे आवासों को वित्तीय वर्ष-2014-15 के बजट आवंटन से पूर्ण कराने हेतु अनुदान संख्या-83 में **रू0-850.38** (रूपये आठ करोड़ पचास लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि समय से आहरित एक माह में व्यय कर ली जायेगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

3- उक्त धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब योजनान्तर्गत ग्रामों के चयनित लाभार्थिया की सूची जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

4- स्वीकृत की जारी धनराशि योजना के शासननदेश संख्या-107/38-4-13-05 बजट/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी साथ ही (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

6- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

2--

http://shasanadesh.up.nic.in

7- जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सूची प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी।

8- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-लोहिया ग्रामीण आवास योजना-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-81/दस-2014,दिनांक 23जनवरी,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव ।

संख्या-6/1250 (1)/38-4-14 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलों के मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- सम्बन्धित जनपदों जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5- सम्बन्धित मण्डलों संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना दिनेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, एवं जला विकास अधिकारी उततर प्रदेश।
7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लख्नऊ ।
8- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
12- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in